

**DGT-12/1/2016-TC**  
**Government of India**  
**Ministry of Skill Development and Entrepreneurship**  
**Directorate General of Training(DGT)**

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,  
New Delhi, Dated: 09.09.2016

To

**The Director,**  
 Directorate of Employment & Training,  
 Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226004,  
 Uttar Pradesh

**Subject: Grant of affiliation in additional Trades/Units to Kashi Private ITI SONBHADRA - reg.**

Sir,

1. The proposals accredited by Quality Council of India (QCI), forwarded to DGT for considering grant of affiliation, were put up before the members of the Sub-Committee of National Council for Vocational Training (NCVT) dealing with affiliation of Govt./Pvt. ITI's, in its meeting held on **30<sup>th</sup> Aug, 2016** at DGT Hqrs., New Delhi for its consideration and approval.

2. The Sub-Committee examined affiliation proposal and accorded approval to the following **additional** Trades/Units which are conforming to the NCVT Norms:

Name of Institute with address	Pin Code/Block	MIS Code/ Existing/ New	Trade for which affiliation sought	Units for which affiliation sought / recommended by			Remarks
				Instt.	Accredited by QCI	Submitted for Approval to Sub-Committee of NCVT	
Kashi Private ITI SONBHADRA Sukrit, Robertganj, Dist. Sonbhadra Uttar Pradesh DGT-6/24/213/2012-TC	231216	PR09000456 Existing	Electrician	5(1+1+3)#	5(1+1+3)#	5(1+1+3)#	A16002183 w.e.f. August 2016 #Additional units.
			Fitter	2(0+0+2)#	2(0+0+2)#	2(0+0+2)#	

3. The affiliation of the trades/units stated above is

- Subjected to periodic verification.
- The ITI must comply with NCVT norms/guidelines issued from time to time.
- ITI must display the newly released logo of ITI on the Display Board at the main gate.
- The ITI in subject is required to submit building completion certificate (BCC) before admitting trainees in subsequent session, if not submitted already.


4. In case of any discrepancy observed in the affiliation orders, same may be intimated to undersigned by 25.09.2016.

Yours faithfully

  
**(Sandhya Salwan)**  
**Director Training/Member Secretary (NCVT)**  
[Sandhya.salwan@nic.in](mailto:Sandhya.salwan@nic.in)

Copy to:

- PPS-Chairman of Sub-Committee to NCVT, PPS-DDG(T), Dir. (TT Cell),
- CEO, NABET, Quality Council of India, Concerned ITI & Office file

  
**(Punita Bhatia)**  
**Deputy Director of Training**  
[punita.bhatia@nic.in](mailto:punita.bhatia@nic.in)



प्रपत्रक

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
काशी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र  
सुकरी  
सोनभद्र।

पत्रांक: 1198 / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0संस्तुति

लखनऊ : दिनांक :

16-4-13, 2012

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30-5-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-30/5/12 W.e.f. Aug 2012
2-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	

DGET-6/24/213/2012 -TC

DATED 27/07/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

(1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट

(2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट

(3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट

(4) यू0सी0-विचाराधीन

(5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।

(6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक : / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0संस्तुति /

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष) वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराएँ।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।